

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फूलियाकला जिला भीलवाड़ा (राज.)

प्रकरण संख्या - 173/2022

पीठासीन अधिकारी - राजकेश मीना (आर.ए.एस.)

उनवान

- 1 महावीर कुमार पिता भागचन्द महाजन उम्र वयस्क निवासी पुरानी अरवड तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 2 हस्तीमल पिता भागचन्द महाजन उम्र वयस्क निवासी पुरानी अरवड तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 3 खुशबू पुत्री भागचन्द महाजन उम्र वयस्क निवासी पुरानी अरवड तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 4 माधुरी पुत्री भागचन्द महाजन उम्र वयस्क निवासी पुरानी अरवड तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 5 सीतादेवी पत्नि भागचन्द महाजन उम्र वयस्क निवासी पुरानी अरवड तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा

————(प्रार्थीगण)

बनाम

- 1 गोपाल पिता चन्द्रा बलाई उम्र वयस्क निवासी पुरानी अरवड तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 2 रूपचन्द पिता कुन्दनमल महाजन उम्र वयस्क निवासी पुरानी अरवड तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 3 रामकुमार पिता महावीर सिंह लोढा उम्र वयस्क निवासी पुरानी अरवड तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 4 छीतरमल पिता भज्जा बैरवा उम्र वयस्क निवासी पुरानी अरवड तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 5 बंशी पिता कल्याण नाथ उम्र वयस्क निवासी पुरानी अरवड तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 6 प्रहलाद पिता छोटू नाथ उम्र वयस्क निवासी पुरानी अरवड तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 7 गोरधन पिता चतरा बैरवा उम्र वयस्क निवासी पुरानी अरवड तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 8 लालाराम पिता राजू कुम्हार उम्र वयस्क निवासी पुरानी अरवड तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 9 श्रीकिशन पिता धन्ना कुम्हार उम्र वयस्क निवासी पुरानी अरवड तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 10 बाली देवी पत्नि रामेश्वरलाल माली उम्र वयस्क निवासी पुरानी अरवड तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 11 गोविन्द पिता रामपुरी गुसाई उम्र वयस्क निवासी पुरानी अरवड तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 12 रामेश्वर पिता कल्याण बैरवा उम्र वयस्क निवासी पुरानी अरवड तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 13 इकबाल मोहम्मद पिता मोहम्मद सलीम मुसलमान उम्र वयस्क निवासी पुरानी अरवड तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 14 रफीक मोहम्मद पिता मोहम्मद सलीम मुसलमान उम्र वयस्क निवासी पुरानी अरवड तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 15 घीसू पिता बालू बैरवा उम्र वयस्क निवासी पुरानी अरवड तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 16 सायरी पत्नि मदनलाल बैरवा उम्र वयस्क निवासी पुरानी अरवड तहसील फूलियाकला जिला, भीलवाड़ा
- 17 भूमिधारी तहसीलदार फूलियाकला जिला भीलवाड़ा

————(अप्रार्थीगण)

उपस्थित—

प्रार्थी अधिवक्ता— श्रीमती मदीना बानू


प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 128, रा.भूराजस्व अधिनियम 1956 बाबत कराने पत्थरगढी आराजीयात

निर्णय

दिनांक - 05.04.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 रा.भूराजस्व अधिनियम 1956 इस न्यायालय मे दिनांक 21.12.2022 का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाके ग्राम अरवड पटवार मण्डल अरवड भू.अ.नि. अरवड तहसील फूलियाकला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 224 के आ.न. 1070, 1071, 1076, 987, 988, 997, 998, 999 किता 8 रकबा 3.24 हैक्टर, एवं खतौनी संख्या 223 के आ.न. 990, 991, 993 किता 3 रकबा 1.70 हैक्टर, भूमि रिथत हैं। उक्त वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसीगण/सहखातेदारान हैं। प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य आराजीयात के सीमा चिह्न नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता हैं। जिससे कि प्रार्थी अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता हैं। प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र इस न्यायालय मे दिनांक 21.12.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगणों को वजह जाहिर करने हेतु नोटिस जारी किये गये। विपक्षीगणों को जारी नोटिस बाद तामील रिकार्ड पर उपलब्ध है। किन्तु सूचित होने के उपरान्त भी विपक्षीगण नियत सुनवाई पर वास्ते अपना पक्ष रखने, हाजिर नही होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये गये। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस प्रार्थनापत्र पर गौर किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य प्रमाणित हैं कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थीगण के खाते की कृषि भूमि हैं और इस प्रकार न्यायिक दृष्टि से एक खातेदार अपने खाते की कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का हकदार हैं। अतः प्रार्थनापत्र प्रार्थी न्याय हित में स्वीकार योग्य प्रतीत होता है।



उपखण्ड अधिकारी
फूलिया कला, जिला-भीलवाड़ा

(2)

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थनापत्र विरुद्ध विपक्षीगण स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम अरवड पटवार मण्डल अरवड भू.अ.नि. अरवड तहसील फुलियाकंला मे उसके खाते की कृषि भूमि खतौनी संख्या 224 के आ.न. 1070, 1071, 1076, 987, 988, 997, 998, 999 किता 8 रकबा 3.24 हैक्टर, एवं खतौनी संख्या 223 के आ.न. 990, 991, 993 किता 3 रकबा 1.70 हैक्टर, भूमि की पत्थरगढी बसामलात पक्षकारान की जाने का आदेश पारित किया जाता है। उक्त आदेश की पालना के लिए भू-अभिलेख निरीक्षक अरवड को नियमानुसार फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण द्वारा अदा की जायेगी। भू-अभिलेख निरीक्षक पत्थरगढी से न्यूनतम तीन दिन पूर्व सभी पड़ोसियान को उपरोक्त आराजियात की पत्थरगढी हेतु लिखित सूचना पत्र से समय एवं तिथि बाबत सूचित करेंगे। मौके पर विवाद होने, किसी अन्य न्यायालय से आराजीयात पर स्थगन होने की दशा में तथा मौके पर खड़ी फसल होने की स्थिति में पत्थरगढी नहीं की जावें। पक्षकारान उभयपक्ष की मौजूदगी में ही पत्थरगढी की जावें। मुस्तकीन बिन्दू को आधार मानकर पत्थरगढी किए जाने का आदेश प्रदान किया जाता है। आदेश की प्रति पालनार्थ तहसीलदार फुलियाकंला को भिजवाई जावे। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। पत्रावली फैसेल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.04.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(राजकेश मीना)
उपरखण्ड अधिकारी,
फुलियाकंला, जिला भीलवाडा